बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0–निग/सारा–1 (पथ) आरोप–91/2020– 8095 (5) /पटना, दिनांक 10/11/21

श्री राजेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर के पथ प्रमंडल, अरवल के पदस्थापन अवधि में जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक–1125 दिनांक 05.10.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 04.10.2020 को पथ प्रमंडल, अरवल अन्तर्गत मानिकपुर–बिथरा–सेनारी पथ का अवलोकन किया गया एवं पथ की स्थिति ठीक नहीं पायी गयी। जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–272 (गो०), दिनांक 06.10.2020 द्वारा निम्नलिखित अनियमिताओं के लिए श्री राय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी :–

(i) उक्त पथ के मजबूतीकरण कार्य का एकरारनामा दिनांक 27.05.2020 को किया गया है, इसके बावजूद दिनांक 04.10.2020 तक पथ Restoration नहीं कराना, कार्य के दायित्व के निर्वहन में गंभीर चूक है।

(ii) विभाग का स्पष्ट निदेश रहा है कि चुनाव के मद्देनजर सभी पथों का उत्कृष्ट रख–रखाव किया जाय। अपने विभाग के इस निदेश का पालन नहीं किया है।

2. उक्त के संदर्भ में श्री राय के पत्रांक–840 अनु०, दिनांक 12.10.2020 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया। श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–3018 (एस) अनु० दिनांक 29.06.2021 द्वारा श्री राय के स्पष्टीकरण के आलोक में अधीक्षण अभियंता, मगध अंचल गया से स्थल जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अधीक्षण अभियंता, मगध अंचल, गया द्वारा पत्रांक–966 अनु०, दिनांक 17.08.2021 द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। अधीक्षण अभिंयता के प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किये जाने की तिथि दिनांक 17.08.2021 तक विभिन्न 09 कार्य मदो में से अधिकार कार्य मद की प्रगति Nil है। तत्पश्चात उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी श्री राय के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक–733 (एस) अनु०, दिनांक 14.02.2023 के द्वारा श्री राय से नये सिरे से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री राय द्वारा पत्रांक–01 (आवास) कोचस, दिनांक 25.02.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया।

3. श्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को सम्यक समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–5904 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–5905 (एस) दिनांक 27.09.2023 के द्वारा "**दो वार्षिक वेतन वृद्धि अंसचयात्मक प्रभाव से रोक**" का दंड संसूचित किया गया है।

कृ०पृ०उ०

4. श्री राजेन्द्र कुमार राय के द्वारा उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध पत्रांक–01 अनु०, (आवास) भागलपुर, दिनांक 14.10.2023 के माध्यम से पुनर्विलोकन हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री राय द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा में पाया गया कि आलोच्य पथ कार्य का दिनांक 27.05.2020 को एकरारनामा किया गया था। चूंकि पथ की स्थिति काफी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में थी एवं आगामी चुनाव को देखते हुए पथ का Restore किये जाने हेतु विभाग का स्पष्ट निदेश था, ऐसी स्थिति में श्री राय से अपेक्षित था कि एकरारनामा होने के तुरंत बाद ही पथ को यातायात के अनुकूल लाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करते परन्तु श्री राय के द्वारा संवेदक को कार्य प्रारंभ करने हेतु एकरारनामा की तिथि से लगभग 03 माह से अधिक बीत जाने के उपरांत प्रथम बार दिनांक 04.09.2020 को सामान्य पत्राचार किया गया, जबकि श्री राय अवगत थे कि पथ की स्थिति काफी दयनीय है। इससे स्पष्ट है कि श्री राय के द्वारा विभागीय आदेश का अनुपालन करने में लापरवाही/उदासीनता बरती गयी।

5. अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–6170 दिनांक 10.09.2021 के द्वारा संवेदक को इस शर्त्त के साथ Debar मुक्त किया गया कि दिनांक 26.02.2022 तक कार्य को पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की जायेगी। इस प्रकार संवेदक के द्वारा कार्य पूर्णता हेतु पुनर्निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा नहीं किये जाने की स्थिति में अंततः श्री राय के प्रतिस्थानी कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया। इसलिए श्री राय के द्वारा अपने कार्य दायित्वों को संवेदक पर स्थानान्तरित किया जाना यथोचित नहीं है। पथ की जीर्ण–शीर्ण स्थिति को देखते हुए इसे शीघ्र Traffic Worthy Condition की दिशा में ससमय आवश्यक कार्रवाई श्री राय के द्वारा किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत श्री राजेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक–01 अनु०, (आवास) भागलपुर, दिनांक 14.10.2023 को अस्वीकृत किया जाता है।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–91/2020–– **/पटना, दिनांक .....**

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–91/2020— /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–91/2020— /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, (उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/ अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, अरवल/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/रोकड़ शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01/02/06/13/14 एवं **श्री राजेन्द्र कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अरवल सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

नेबंधित

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–91/2020– 8096(S) पटना, दिनांक.....10/11/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

05.11.26